

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 12(1)ग्रावि/नरेगा/वेयरफुट/2015/59360

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

27 APR 2016

विषय :- इंजीनियर्स (BFT's) के चयन, प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.01.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 1 के पैरा 16 में वेयरफुट टेक्नीशियन रखे जाने का प्रावधान किया गया है। तथा पत्रांक j-12032/1/1/2016-MGNREGA-iv दिनांक 16.03.2016 के द्वारा राज्य में अतिरिक्त BFT के प्रशिक्षण के निर्देश दिये है। राज्य में वेयरफुट टेक्नीशियन के चयन, प्रशिक्षण, नियोजन एवं भुगतान के संबंध में संलग्न निर्देशानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः कृपया प्राप्त निर्देशों के क्रम में आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों का चयन दिनांक 28.01.2015 के निर्देशों के क्रम में करते हुए सूची संलग्न प्रारूप में दिनांक 15.05.2016 तक विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
3. श्री रिकू छीपा को ई-मेल वास्ते।
4. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

